सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 269
06/04/2018

पी0आई0ओ0–सह–जिला पदाधिकारी के कार्यालय को लगा दण्ड

पटना 06 अप्रैल 2018 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री वी0के0 वर्मा ने वाद सं0–96424 / 13–14 के मामले में आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदक श्रीमती प्रतिमा सिंह को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने के एवज में पी0आई0ओ0–सह–जिला पदाधिकारी का कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20 (1) के तहत 10,000 (दस हजार रु0) का दण्ड अधिरोपित किया है। साथ ही जिला पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी सीतामढ़ी के फैसले की कॉपी इस आशय के साथ प्रेषित की गयी है कि दण्ड की राशि की कटौती कर आयोग को भी अवगत करायें।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक–04.07.2018 को साढ़े दस बजे आयोग कार्यालय में होगी।

******